

(To be published in part (iv) of Delhi Gazette Extraordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, DELHI
(STAMPS & REGISTRATION BRANCH)
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

No. F.1/3510/RB/Div.Comm./HQ/R/2026/ 6030

Dated: 16/10/26

ORDER

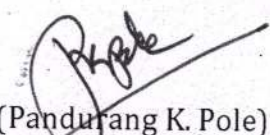
Subject: Appointment of Adjudicating Officers and Appellate Authority under Sections 34A and 34B of the Court-fees Act, 1870, as amended.

In exercise of the powers conferred by Sections 34A and 34B of the Court-fees Act, 1870, as applicable to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the following officers for the purposes of the said provisions, namely:—

1. Adjudicating Officers: The District Magistrates/Deputy Commissioners of the respective Revenue Districts of the National Capital Territory of Delhi are hereby designated as the Adjudicating Officers for the purposes of Section 34A of the Court-fees Act, 1870, within their respective jurisdictions.
2. Appellate Authority: The Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi, is hereby designated as the Appellate Authority for the purposes of Section 34B of the Court-fees Act, 1870.

This order shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi



(Pandurang K. Pole)
Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner
Government of NCT of Delhi

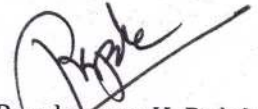
No. F.1/3510/RB/Div.Comm./HQ/R/2026/ 6030
Copy to:

Dated: 16/10/26

1. Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi, for information.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister/Minister (Revenue), Delhi, for information.
3. SO to the Chief Secretary, GNCTD, for information of the Chief Secretary.
4. Principal Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), GNCTD, for information and necessary action.

IT Branch, Revenue (HQ)
Diary No. 448.....
Date 22/10/26

5. Principal Secretary (Finance), GNCTD, for information.
6. All District Magistrates/Deputy Commissioners (Revenue), GNCTD, for information and necessary compliance.
7. Dy. Director, IT Branch (HQ), for uploading on the Revenue Department portal.
8. Regional Manager, Stock Holding Corporation of India Ltd., 5th Level, IFCS Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, for information and necessary compliance.
9. PA to Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner, GNCTD.
10. PA to DC-I (HQ), Revenue Department, GNCTD.
11. Guard file.



(Pandurang K. Pole)
Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner
Government of NCT of Delhi

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग (iv) में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

मंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली

(स्टाम्प एवं पंजीकरण शाखा)

5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054

फा0सं01/3510/आरबी/मंडलीयआयुक्त/मुख्या0/आर/2026/ 6030 दिनांक: 16/10/26

आदेश

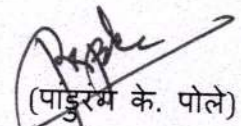
विषय: यथा संशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क तथा 34ख के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क तथा 34ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अर्थात्:—

1. न्यायनिर्णायक अधिकारी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित राजस्व जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को एतद्वारा उनके संबंधित अधिकारक्षेत्र के भीतर न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क के प्रयोजनार्थ न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।
2. अपीलीय प्राधिकारी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडलीय आयुक्त को एतद्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34ख के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

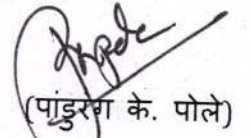

(पांडुरंग के. पोले)

सचिव (राजस्व)-सह-मंडलीय आयुक्त,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0सं01/3510/आरबी/मंडलीयआयुक्त/मुख्या0/आर/2026/ 6030 दिनांक: 16/10/26
प्रतिलिपि निम्न को:

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली को सूचना हेतु।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री/मंत्री (राजस्व), दिल्ली को सूचना हेतु।

3. स्टाफ अधिकारी, मुख्यसचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसरकार को मुख्यसचिव को सूचना हेतु।
4. प्रधानसचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. प्रधानसचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सूचना हेतु।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
7. उप-निदेशक, आईटी शाखा (मुख्यालय), राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवीं मंजिल, आईएफसीएस टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
9. वैयक्तिक सहायक, सचिव (राजस्व)-सह-मंडल आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. वैयक्तिक सहायक, डीसी-1 (मुख्यालय), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. गार्ड फाइल।


(पांडुरंग के. पोले)

सचिव (राजस्व)-सह-मंडलीय आयुक्त,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277258
SG-DL-E-17102026-277258

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 259
No. 315]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948	[N. C. T. D. No. 259

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली
(स्टाम्प एवं पंजीकरण शाखा)
आदेश
दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

विषय: यथा संशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क तथा 34ख के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।

फा. सं. 1/3510/आरबी/मंडलीय आयुक्त/मुख्या0/आर/2026/6030.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क तथा 34ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अर्थात्:—

- न्यायनिर्णायक अधिकारी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित राजस्व जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को एतद्वारा उनके संबंधित अधिकारक्षेत्र के भीतर न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क के प्रयोजनार्थ न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. अपीलीय प्राधिकारी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडलीय आयुक्त को एतद्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34ख के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पांडुरंग के. पोले, सचिव (राजस्व)-सह-मंडलीय आयुक्त

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, DELHI
(Stamps and Registration Branch)

ORDER

Delhi, the 16th October, 2026

Subject: Appointment of Adjudicating Officers and Appellate Authority under Sections 34A and 34B of the Court-fees Act, 1870, as amended.

F. No. 1/3510/RB/Div.Comm./HQ/R/2026/6030.— In exercise of the powers conferred by Sections 34A and 34B of the Court-fees Act, 1870, as applicable to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the following officers for the purposes of the said provisions, namely:—

1. **Adjudicating Officers:** The District Magistrates/Deputy Commissioners of the respective Revenue Districts of the National Capital Territory of Delhi are hereby designated as the **Adjudicating Officers** for the purposes of Section 34A of the Court-fees Act, 1870, within their respective jurisdictions.
2. **Appellate Authority:** The Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi, is hereby designated as the **Appellate Authority** for the purposes of Section 34B of the Court-fees Act, 1870.

This order shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,

PANDURANG K. POLE, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner